रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, बुधवार अगस्त 23, 1972/भाद्र 1, 1894
No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 1972/BHADRA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August 1972

G.S.R. 389(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of section 23 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taktn into consideration on or after the 11th September, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the date so specified above shall be considered by the Central Government:

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Third Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 1.**—In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 1, in sub-rule (2), the words "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.

[No. P.15013/1/72-P.H.]

A. B. MALIK, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1972

जी०एस०आर० 389(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के विचार से कतिपय नियमों के जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाना चाहती है, निम्नलिखित प्रारूप को, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में अपेक्षित है, उनसे प्रभावित होने की सम्भावना वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर 11 सितम्बर, 1972 अथवा इसके बाद विचार किया जायेगा।

उक्त प्रारूप नियमों के सम्बंध में किसी भी व्यक्ति से जो आक्षेप अथवा सुझाव ऊपर विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:

नियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:—(1) ये नियम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1972 कहे जायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. नियम का संशोधन :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 1, उप-नियम (2) में "जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर" शब्दों को हटा दिया जाये ।

[संख्या पी० 15013/1/72-जन स्वा०

अमिय भूषण मलिक, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972